GAAF/01/2019-20 | पंजीयन सं- 423/1985-86
GSTIN 08AAAAJ0277H1ZS | फोन नं. 0141-2398477 मो. नं. 9784942956

जयपुर गोसंवर्धन समिति, जयपुर

गोदूग्ध प्रोसेसिंग प्लान्ट, जी–251(डी), मानसरोवर
औद्योगिक क्षेत्र मानसरोवर, जयपुर

बिकी एजेन्सी (गोरस मण्डार) हेतु आवेदन–पत्र

फोटो

1 आवेदनकर्ता का नाम : ....
आवेदक
2 पिता / पति का नाम : ....
3 जन्म दिनांक : ....
4 आवेदक का पता :
वर्तमान - ....
....
स्थाई - ....
....

(स्थाई पते का प्रमाण – मूल निवास/आधार कार्ड/वोटर आईडी/बिजली बिल..........................)

5 दूरभाष न. : .... मोबाईल न. : ....
6 पेन कार्ड न. : .... (प्रति संलग्न करे)
7 एजेन्सी का प्रस्तावित स्थान : मैसर्स ....
(पूर्ण पता अंकित करे) ....
GST No. .... फूड लाईसेन्स न. .... वर्ष ....

मैं आपकी संस्था के गाय का दूग्ध, गोघृत एवं अन्य उत्पाद आपके द्वारा निर्धारित शर्तो पर बेचना चाहता/चाहती हूं। कृपया मुझे एजेन्सी देने की कृपा करें ।

दिनांक......................

हस्ताक्षर आवेदनकर्ता

केवल कार्यालय उपयोग हेतु

1	प्रस्तावित स्थान पर गाडी जा सकती है –	1 हॉ		2 नहीं	
2	प्रार्थी के पास फीज की सुविधा उपलब्ध है –	1 हॉ		2 नहीं	

कृपया सिक्यूरिटी (धरोहर) राशि जमा कर उक्त स्थान पर बिकी एजेन्सी दी जाये ।

बिकी प्रतिनिधि

धरोहर राशि रूपये...................... अक्षरे.(..............................) रसीद संख्या.............. दिनांक................ एजेन्सी संख्या............. .... क्षेत्र संख्या.................. आंवटित करते हुये दिनांक................. से सप्लाई प्रारम्भ की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मंत्री | कैशियर | व्यवस्थापक

नियम एवं शर्ते

1- खुदरा विकेता की नियुक्ति अस्थाई रूप से तीन माह के लिए की जाएगी। यह अवधि यदि जयपुर गोसंवर्धन समिति चाहे तो बढाई जा सकती है तथा बिना नोटिस दिये विकेताशिप समाप्त भी की जा सकती है।

2- खुदरा विकेता को समिति द्वारा निर्धारित सुरक्षा राशि जमा करवानी होगी। एजेन्सी आवंटन के बाद भी सुरक्षा राशि में वृद्वि की जा सकती है। एजेन्सी धारक को तद्नुसार राशि जमा करवाना अनिवार्य होगा।

3- खुदरा विकेता को दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद समिति से नकद भुगतान (रिटेलर कमीशन कम करके) पर प्राप्त करने होगें तथा राशि बकाया रखने पर सप्लाई तुरन्त प्रभाव से बन्द की जा सकती है तथा एजेन्सी निरस्त करते हुए सुरक्षा राशि समायोजित/जब्त की जा सकती है।

4- एजेन्सी को न्यूनतम 50 लीटर दूध प्रतिदिन बेचना अनिवार्य है। अगर एजेन्सी आवंटन के एक माह में भी 50लीटर दूध विकय नहीं किया जाता है तो बिना सूचना के एजेन्सी निरस्त की जा सकती है।

5- खुदरा विकेताओं को उनकी मांग के अनुसार दूध एवं दूध उत्पाद सप्लाई किये जाते है। बचा हुआ दूध/दूध उत्पाद वापस स्वीकार नहीं किये जावेगें।

6- बिकी राशि एवं दूध/दूध उत्पादों के साथ सप्लाई की गयी केटें खुदरा विकेता को निर्धारित प्रकियानुसार पूरी मात्रा में वापस जमा करनी होगी। इसकी पालना नहीं किये जाने पर एजेन्सी की सप्लाई बन्द की जा सकती है तथा लगातार ऐसा करने पर एजेन्सी निरस्त की जा सकती है।

7- खुदरा विकेता को ग्राहकों/वितरको एव समिति प्रतिनिधियो से शालीन व्यवहार करना होगा। अभद्र व्यवहार करने, लडाई झगडा करने एवं तथ्यहीन निराधार शिकायतें करने तथा ऐसा प्रमाणित होने पर सम्बन्धित एजेन्सी के विरूद्व सख्त कार्यवाही की जावेगी। जिसके अन्तर्गत एजेन्टशिप निरस्त करते हुए सुरक्षा राशि जब्त की जा सकती है।

8- खुदरा विकेता को समिति द्वारा निर्धारित समयानुसार एजेन्सी पर दूध/दूध उत्पाद बिकी सूनिश्चित करनी होगी।

9- खुदरा विकेता को एजेन्सी के स्थान से ही दूध/दूध उत्पाद बिकी करने होगें । अन्य स्थान/अन्य एजेन्सी के पास बिकी करने पर एजेन्सी समाप्त की जा सकती है। एजेन्सी आवंटन अहस्तान्तरणीय है।

10- वितरण सम्बन्धी आदेश जो भी समय समय पर दिये जायेगें वे मान्य होगें। तथा खुदरा विकेता उनकी पूर्ण रूप से पालना करेगें।

11- एजेन्सी जिसके नाम से आवंटन की जायेगी उसका संचालन उसे स्वयं ही करना होगा, किसी ओर के द्वारा संचालन करवाने या एजेन्सी सबलेट करने पर एजेन्सी निरस्त की जा सकती है।

12- खुदरा विकेता/एजेन्सी द्वारा गोरस के प्रतिस्पर्धी ब्राण्ड के दूध/दूध उत्पाद बिकी किया जाना एवं इनके साथ किसी भी तरह को व्यवसायिक सम्बन्ध रखने पर एजेन्सी तुरन्त प्रभाव से निरस्त की जाकर सुरक्षा राशि जब्त कर ली जावेगी।

13- खुदरा विकेता आवेदक के साथ दिये गये दस्तावेज/सूचना गलत पाये जाने पर एजेन्सी निरस्त करते हुए सुरक्षा राशि जब्त की सकती है।

14- एजेन्सी आवंटन अहस्तान्तरणीय है।

15- एजेन्सी/विकेता जयपुर गोसंवर्धन समिति से ही गोघृत खरीदेगा, अन्य किसी से खरीदने पर समिति ज़िम्मेदार नहीं होगी। अन्य व्रिकेता से खरीदने पर आपकी एजेन्सी निरस्त कर अमानत राशी ज़प्त कर कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी। जिसकी ज़िम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

16- उक्तानुसार सभी नियम/शर्ते मेरे द्वारा अच्छी तरह पढकर समझ ली गयी है। मैं/हम इनके पालन के लिये सहमत हूँ।

हस्ताक्षर आवेदक